समक्ष, माननीय मध्य प्रदेश राजस्व मण्डल, ग्वालियर, म.प्र.

(65)

राम कुमार उम्र करीब 70वर्ष,पिता स्व.श्री बबोल राम ब्राम्हण,
ग्राम पयारी,पो.आ.पयारी,थाना भालूमाड़ा,
तहसील अनूपपर,जिला अनूपपुर,म.प्र..... निगरानीकर्ता

निगरानी-4323/2018/अनूपपुर/भू.रा.

बनाम

1. बिनोद कुमार पिता श्री राम प्रसाद ब्राम्हण,उम्र करीब 28 वर्ष,
2. सतरूपा पिता श्री राम प्रसाद ब्राम्हण, उम्र लगभग 33 वर्ष,
दोनों निवासी ग्राम मौहरी बड़ी //सेमरवार//पो.आ.छिलपा,
थाना भालूमाड़ा,तहसील अनूपपर,जिला अनूपपुर,म.प्र.....गैरनिगरानीकारगण

श्रीमान कमिश्नर महोदय,राजस्व,संभाग शहडोल, म.प्र. के राजस्व द्वितीय अपील प्रकरण कमांक 152/अपील/2016–17 में प्रदत्त आदेश दिनांक 08.06.2018 के बिरूद्ध प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता.

श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय, अनूपपुर, म.प्र. के रा. प्रकरण कमांक 15/अ–27/10–11 धारा 178म.प्र.भू–रा.सं. आदेश दिनांक 28.07.2015 के बिरूद्ध प्रथम अपील श्रीमान अनुबिभागीय अधिकारी महोदय, अनूपपुर, के समक्ष प्रस्तुत की गई थी जो कि राजस्व अपील प्रकरण कमांक 131/अपील/2014–15 के रूप में दिनांक 14.08.2017 को निरस्त हुई थी। तत्पश्चात श्रीमान कमिश्नर महोदय,राजस्व,संभाग शहडोल, म.प्र. के समक्ष प्रस्तुत द्वितीय राजस्व अपील प्रकरण कमांक 152/अपील/2016–17 के रूप में दिनांक 08.06.2018 को निरस्त हो जाने की वजह से यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

V.K.SHUKLA
ADVOCATE
12/07/2018

मान्यवर,

श्रीमान कमिश्नर महोदय,राजस्व,संभाग शहडोल, म.प्र. के द्वारा उक्त द्वितीय अपील में दिये गये आदेश दिनांक 08.06.2018 के बिरूद्ध निगरानीकर्ता के द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत किया जाकर बिनय है कि :–

1. यह कि बिचारण न्यायालय नायब तहसीलदार महोदय,अनूपपुर,म.प्र. के समक्ष निगरानीकार,अनावेदक के रूप में तथा उक्त गैरनिगरानीकारगण, आवेदकगण के रूप में रहे हैं एवं निगरानीकार के द्वारा माननीय बिचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 28.07.2015 के बिरूद्ध प्रथम अपील श्रीमान अनुबिभागीय अधिकारी महोदय,अनूपपुर, के समक्ष प्रस्तुत की गई थी जो कि राजस्व अपील प्रकरण कमांक 131/अपील/2014–15 के रूप में दिनांक 14.08.2017 को निरस्त हो गई थी। उक्त आदेश के बिरूद्ध श्रीमान कमिश्नर महोदय, राजस्व, संभाग शहडोल,म.प्र. के समक्ष द्वितीय राजस्व अपील प्रस्तुत की गई थी जो कि प्रकरण कमांक 152/अपील/2016–17 के रूप में दिनांक 08.06.2018 को निरस्त हो चुकी है। उक्त द्वितीय अपील के आदेश से परिवेदित होकर निगरानीकार के द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

रामकुमार गौतम

क्रमशः पृष्ठ 02 पर.

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-4323/2018/अनूपपुर/भू.रा. रामकुमार विरूद्ध विनोदकुमार, सतरूपा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17-09-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । दिनांक 12-09-2018 को आवेदक रामकुमार के अभिभाषक श्री वी.के.शुक्ला के ग्राह्यता पर तर्क सुने गये । निगरानी मेमों व उसके साथ संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया । विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्कों में वही तथ्य प्रस्तुत किये है, जो निगरानी मेमों में दर्शाये गये हैं । 2. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम पयारी स्थित आराजियात किता 07 कुल रकबा 6.0402हे. भूमियों का भूमिस्वामी रामकुमार पिता बबोलराम, विनोद कुमार सतरूपा पिता रामप्रसाद ब्रा. दर्ज अभिलेख थे । उत्तरवादी विनोद कुमार व सतरूपा के द्वारा प्रश्नाधीन आराजियों का बटवारा किये जाने का आवेदन पत्र नायब तहसीलदार राजस्व वृत्त फुनगा तहसील अनूपपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया । नायब तहसीलदार के द्वारा हल्का पटवारी से प्रस्तावित फर्द बटवारा पत्रक मंगाया गया । हल्का पटवारी ने लेख किया कि फर्द बटवारा तैयार करते समय अपीलार्थी रामकुमार द्वारा आपत्ति की गयी कि शेष भूमि पर ¼ का फर्द बटवारा तैयार कर 3 हिस्सा मिले तथा 1 हिस्सा उत्तरवादी को दिया जाये । फर्द बटवारा प्राप्त कर नायब तहसीलदार ने यह पाया कि अपीलार्थी द्वारा प्रश्नाधीन भूमियों में से कुछ भूमि पूर्व में हीं विक्रय की गई है । विक्रय की गई भूमि अपीलार्थी के हिस्से में रखते हुए कुल भूमियों का ½ भाग किया जाकर बटवारा आदेश स्वीकार किया गया, जिससे असंतुष्ट होकर अनुविभागीय अधिकारी अनूपपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय	

17.9.18

अधिकारी अनूपपुर ने नायब तहसीलदार वृत्त फुनगा, तहसील अनूपपुर द्वारा पारित आदेश को न्यायोचित पाते हुए अपील निरस्त कर दिया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध निगरानीकर्ता के द्वारा द्वितीय अपील क्रमांक 152/अपील/2016-17 अपर आयुक्त शहडोल संभाग, शहडोल के न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी, जो सारहीन होने से दिनांक 08-06-2018 को निरस्त की गई थी, जिससे असंतुष्ट होकर आवेदक रामकुमार ने उक्त निगरानी दिनांक 12-07-2018 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई ।

3. अपर आयुक्त के आदेश के प्रथम पृष्ठ की अंतिम पंक्ति में वर्णित टीप अनुसार आवेदक रामकुमार के द्वारा अपने पिता बबोलरामकृष्ण की मृत्यु उपरांत वारिसाना नामातंरण को चुनौती नहीं दी थी, जिसके अनुसार उसकी मां सत्यवती का नाम वारिसाना नामातंरण में नहीं था । एक अन्य वारिसान रामसखी (बबोलराम की पुत्री) की वारिसान नामातंरण के पश्चात मृत्यु हो जाने के पश्चात उनके वारिसों के बारे में प्रकरण में कोई अभिलेख मौजूद नहीं होने के बारे में कुल भूमि 6.402 हे. के हकदार मात्र रामकुमार व विनोदकुमार, सतरूपा ही शेष रह गये । जिनके मध्य संपूर्ण भूमि के रकबे का बटवारा ½ भाग रामकुमार(निगरानीकर्ता) व ½ भाग गैरनिगरानीकर्ता के मध्य नायब तहसीलदार के द्वारा किया गया है । जिन भूमियों को रामकुमार ने पूर्व में ही विक्रय किया था उस भूमि के रकबे को उसके हिस्से में शामिल कर दिया गया है ।

4. प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय के आदेश प्रथम एवं द्वितीय अपील में पारित आदेशों में समरूपता है ।

I. न्याय दृष्टांत 1966 आर.एन. 305 रामदयाल विरूद्ध तुलसीराम एवं 1985 आर.एन. 428 नारायण विरूद्ध आशाराम में स्थापित किया है कि " निचले दोनों न्यायालयों के आदेश समरूप तथा आख्यापक होने की दशा में द्वितीय अपील में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए ।"

II. 1984 आर.एन. 36 (उच्च न्यायालय) के अनुसार " निचले न्यायालयों के निष्कर्ष समरूप हो तब द्वितीय अपील न्यायालय को तथ्य संबंधी प्रश्नों पर पुनर्विचार करने की शक्ति नहीं है ।"

5. अतः अधीनस्थ न्यायालय ने उचित निष्कर्ष निकाल कर सभी तथ्यों पर प्रस्तुत आपत्ति की विवेचना कर आदेश पारित करने में कोई त्रुटि न होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय के आदेशों में हस्तक्षेप की आवश्यकता न होने से निगरानी अग्राह्य की जाती है ।पक्षकारों के अभिभाषकों को नोट कराया जाये ।

3/3

17.9.2018

(आर.के. जैन)
सदस्य